I/156931

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्या– / XXVII(7)/E-41734/2022
देहरादूनः दिनांक 25 सितम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन हाल के वर्षों में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर कार्यरत / नियोजित कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है। यद्यपि नियमित कार्मिकों तथा संविदा आदि पर अस्थायी रूप से नियोजित कार्मिकों के कार्य दायित्व / प्रास्थिति में भिन्नता है तथापि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उक्तानुसार नियोजित कार्मिकों के हित में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से उन्हें कतिपय अवकाश अनुमन्य किये गये हैं।

उपर्युक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर कार्यरत / नियोजित कर्मचारियों को जन्म के समय जच्चा–बच्चा की देखभाल किये जाने तथा उनके बच्चों की बेहतर देखभाल हेतु पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा प्रदान की जाय। तद्नुसार संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को निम्नलिखित अवकाश प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पितृत्व अवकाश (Paternity Leave):-

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित पुरूष सेवकों, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, को उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा बच्चा पैदा होने की तिथि से छः माह तक, सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा:–

(i) 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान उसे, अवकाश पर जाने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जायेगा।
(ii) पितृत्व अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है।
(iii) यदि पितृत्व अवकाश निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।
(iv) सामान्यतः पितृत्व अवकाश किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave):-

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों / एकल पुरूष

सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा:—

(i) एकल पुरूष सेवक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष को सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iii) बाल्य देखभाल अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन की अवधि का अनुमन्य होगा। कलेण्डर वर्ष में बाल्य देखभाल अवकाश का उपभोग न किये जाने की स्थिति में वर्ष की समाप्ति पर बाल्य देखभाल अवकाश अग्रेनीत नहीं किया जायेगा अर्थात निर्दिष्ट अवधि के भीतर बाल्य देखभाल अवकाश नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार का अवकाश समाप्त हुआ, समझा जायेगा।

(iv) एक बार में 05 दिनों से कम अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पात्र महिला/पुरूष सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

(v) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिक बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(vi) बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

(vii) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

(viii) बाल्य देखभाल अवकाश न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले नियोजित कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा।

(3) <u>बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave):-</u>

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों/एकल पुरूष सेवकों जो कम से कम 03 वर्ष से विभाग में कार्यरत हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन के बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया जायेगा:—

(i) महिला सेवकों जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों, को ही बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य होगा।

(ii) एकल पुरूष सेवक, जिनकी कोई जीवित सन्तान न हो एवं जिनके द्वारा 'बालक शिशु' को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया गया हो, को ही बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(iii) एकल पुरूष सेवक में अविवाहित/ विधुर/तलाकशुदा पुरूष को सम्मिलित किया जायेगा।

(iv) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 120 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

(v) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सेवक/एकल पुरूष सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होगा।

(vi) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रकिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) छः माह से अधिक नहीं होगी।

(vii) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2022 (समय–समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अन्तर्गत केवल वैधानिक (Valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

(viii) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

(ix) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 25-09-2023 15:28:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 25-09-2023 17:42:27
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

enerated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 25/09/2023 06:18 PM